संख्याः– /XVIII(II)/2020–01(4)/2018

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 04 मई 2020 ~~मार्च, 2020~~

विषयः–दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार को ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, औरंगाबाद, दौलतपुर, पंचायनपुर, बढेड़ी राजपुतान एवं ग्राम बावली कलन्जरी में 35.6340 है0 भूमि कय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–240/जि0भू0सहा0–2019, दिनांक 07–09–2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार को ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, औरंगाबाद, दौलतपुर, पंचायनपुर, बढेड़ी राजपुतान एवं ग्राम बावली कलन्जरी में 35.6340 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार को ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, औरंगाबाद, दौलतपुर, पंचायनपुर, बढेड़ी राजपुतान एवं ग्राम बावली कलन्जरी में 35.6340 है0 भूमि कय की अनुमति उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अध्यादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2019 की धारा–154(2)(ख) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(ख) में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (कृषि कार्य व गौ संवर्धन, गौ–संरक्षण, गौ–अभ्यारण, गौ–विचरण व गायों पर अनुसंधान, जड़ी–बूटी अनुसंधान, खाद्यानों पर अनुसंधान, जड़ी–बूटी रोपण व संवर्धन व अन्य उपयोगी कार्य हेतु) के लिये भी करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी

अन्य प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– चूंकि क्रय की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में विक्रेताओं के शपथ पत्र प्राप्त नहीं है अतः जिलाधिकारी भूमि विक्रय हेतु सम्बन्धित विक्रेताओं से शपथ पत्र अनिवार्य रूप से मूल रूप में प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन की अवधि तक वैध रहेगी।

7– संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल (कृषि कार्य व गौ संवर्धन, गौ–संरक्षण, गौ–अभ्यारण, गौ–विचरण व गायों पर अनुसंधान, जड़ी–बूटी अनुसंधान, खाद्यानों पर अनुसंधान, जड़ी–बूटी रोपण व संवर्धन व अन्य उपयोगी कार्य हेतु) किया जायेगा अन्य किसी प्रकार की विधिक अनियमितता के लिए संस्था पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होगी।

8– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग उपरोक्त प्रयोजन से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान साड़ा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– संस्था को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11– संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12– संस्था को विनियमित क्षेत्र के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13– क्रय की जा रही भूमि के विक्रय–विलेखों पर उक्त अनुमति में इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

14– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित संस्था का को होगा।

15– सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

...3

16– सम्बन्धित संस्था द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– सम्बन्धित संस्था द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18– जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

19– सम्बन्धित संस्था द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

20– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

21– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

22– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने/उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति को निरस्त कर दी जायेगी।

3– कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–232/XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महामंत्री, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, महर्षि दयानन्द, ग्राम निकट बहादराबाद, हरिद्वार।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।